समाज में महिलाओं की स्थिति

मंजू कुमारी
रिसर्च स्कॉलर, सिंघानिया युनिवर्सिटी,
राजस्थान।

प्राचीन काल में वैदिक काल में महिलाओं का स्थान काफी आदरपूर्ण था। उनको शिक्षा, धाम्रिक क्रियाओं, विवाह, धन–सम्पत्ति इत्यादि में पुरूषो के समान ही स्वामित्व अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी। कालान्तर में यह स्थिति बदलती गई। समाज में स्त्रियों का स्थान पुरूषों से निम्नतर होता चला गया। वर्ण व्यवस्था की कठोरता और धार्मिक प्रतिबन्धों के कारण स्त्री पुरूषों पर आर्थिक रूप से आधारित मानी जाने लगी। मनुस्मृति में कहा गया है कि महिलाओं को कभी भी स्वतंत्र नहीं रखा जाये। पुत्री के रूप में वह अपने पिता के संरक्षण में रहे, पत्नी के रूप में वह पति के अधीन रहे और विधवा के रूप में वह अपने पुत्र पर निर्भर रहे। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते है। परन्तु महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से पुरूषो के अधीन मानकर समाज में महिलाओं की निम्न धार्मिक स्थिति को मान्यता दी। स्मृतियों, धर्मशास्त्रों और ग्रन्थो में भी स्त्रियों के प्रति इस तरह के दृष्टिकोण देखने को मिलते है जिसमें पुरूषो को वर्चस्व बनाए रखने के उदहरण मिलते है।

इसके अलावा समाज में अनेको अमानवीय एवं असंगत कुरीतिया प्रचलित हो गई। प्राचीन काल में उच्च स्थान रखने वाली महिलाएं जो गृह लक्ष्मी कहलाती थी, जो घर में सम्मानित स्थान रखती थी, 18वीं शताब्दी में वे दलितों की स्थिति में पहुंच गई। वे पुरूषो पर निर्भर और आश्रित हो गई। उनका जीवन पूर्ण रूप से सर्म्पण का था। स्त्रियों का एकान्तवास और पर्दा लागू हो गया था। विशेष रूप से उत्तर भारत के नगरो व उच्च जातियों में, किन्तु दक्षिण भारत में निम्न वर्ग की स्त्रियां इससे मुक्त थी। इन सब में अन्धविश्वासों का हाथ था। चार दीवारी के अन्दर रहने वाली स्त्रियां अनेको अन्धविश्वासों से घिरी हुई थी। अनेको प्रकार की बुराईयां समाज में प्रचलित थी। जैसे– बाल विवाह, बालिका वध, सती प्रथा इत्यादि कुप्रथाएं प्रचलित थी।

बाल विवाह एक दूषित परम्परा थी। मनुसंहिता में एक जगह कहा गया है कि कन्याओं की शादी 8 से 12 वर्ष तक कर दी जाती थी। 5–6 वर्ष की बालिकाओं के विवाह का उदाहरण मिलता है। राजस्वला होने पर शादी करना शास्त्रो में पाप माना जाता था। यह प्रथा समाज का अहम हिस्सा बन चुकी थी। विधवाओं का कष्टमय जीवन था। जो बाल विवाह का ही परिणाम था। विधवाओं पर अनेको धार्मिक तथा सामाजिक प्रतिबन्ध होते थे। ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना

और विधवा विवाह निषेध था। विधवाओं की पूरी दिनचर्या ही प्रभावित होती थी। उनको अवहेलना और उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। मांगलिक कार्यो में भी उनकी उपस्थिति अशुभ मानी जाती थी। उनको कठोर आचार नियमो का पालना करना होता था। जो मनुसंहिता में मिलता है।

बहु–विवाह महिलाओ की स्थिति समाज में इतनी हो गई कि वो पुरूषों की व्यक्तिगत सम्पत्ति और भोग विलास की वस्तु समझी जाने लगी। पुरूषो को अनेको विवाह करने की धार्मिक छूट मिल गई। स्त्रियों के पति की मृत्यु होने पर पुनः विवाह का अधिकार नहीं दिया गया। बहु–विवाह सन्तान उत्पत्ति की दृष्टि से उचित जाना जाने लगा। बहु–विवाह के कारण आर्थिक स्थिति भी गिरने लगी। बहु–विवाह सामाजिक प्रतिष्ठा की शान जाना जाने लगा। यह हिन्दू और मुसलमान दोनो में ही प्रचलित था।

प्राचीनकाल में पर्दा–प्रथा नही थी। मुस्लिम शासको के फलस्वरूव मध्य युग में हिन्दु समाज में पर्दा का प्रचलन हुआ। स्त्रियों का शत्रुओं द्वारा अपहरण करने तथा सुन्दर युवतियों को बलपूर्वक युद्ध कर हस्तगत करने के कारण राजपूतो में पर्दा प्रथा आरंभ हुई। जिसे अन्य वर्णो ने भी अपना लिया। उच्च तथा मध्य वर्ग में इसका प्रचलन काफी था। निम्न वर्ग में कम था। जिससे स्त्रियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

प्राचीनकाल में भारतीय समाज में महिलाओं का श्रेष्ठ स्थान था जिससे प्राचीन काल में काफी उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। जिससे पता चलता है कि प्राचीन काल में महिलाओं का स्थान पुरूषो से कम नहीं था। वे पुरूषो के साथ यज्ञ तथा वेदमंत्रो का पाठ करती थी। किन्तु बाद में उनकी दशा बिगड़ने लगी। विदेशियों के आगमन तथा हिन्दू सभ्यता और संस्कृति में अवनति के कारण स्थिति समाप्त हो गई। उनकी स्वतन्त्रता कम होने लगी। उनको विलास मात्र की सामग्री माना जाने लगा। समाज में पर्दा प्रथा, बाल–विवाह, कन्या वध जैसी बुराईया व्याप्त हो गई। इनमें सबसे गंभीर समस्या सती प्रथा की थी। स्त्रियों को मृत प्रति के साथ जीवित जलना होता था। कुछ ही स्त्रियां अपनी इच्छा से सती होती थी। सती होने की स्वेच्छापूर्ण घटना देखने को कम ही मिलती थी। यह प्रथा बहुत ही भयानक थी। पुर्तगाली वायसराय अल्बुबर्क ने 1510 ई में सती प्रथा को बन्द कर दिया था। लेकिन कम्पनी सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नही दिया। बहुत से अफसरो ने सती प्रथा को बन्द करने का प्रयास किया लेकिन सरकार को लोगो के विरोध का डर था। इस प्रकार से 18वीं शताब्दी में सती प्रथा एक अहम बुराई थी।

बालिका वध विशेषकर राजपूतो में बालिका जन्म दुर्भाग्यपूर्ण मना जाता था। बालिका के जन्म को अशुभ माना जाता था। इस भावी संकट को टालने के लिए बालिका के उत्पन्न होते ही उसकी हत्या करने लगे। यह कुप्रथा अमानवीय तथा क्रूर थी। इस प्रकार से स्त्रियों की अनेको तरह की बुराई प्रचलित थी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शैलेन्द्र प्रसाद पाथरी, आधुनिक भारतीय नवजागरण।
2. जैन एम.एस., आधुनिक भारत का इतिहास।
3. प्रताप सिंह, आधुनिक भारत का सामाजिक वं आर्थिक इतिहास।
4. डा. दीनानाथ, आधुनिक भारत।
5. शैलेन्द्र प्रसाद पाथरी, आधुनिक भारतीय नवजागरण।
6. डा. हेत सिंह बघेला, भारतीय संस्कृति का विकास।